न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 122/2009 (2009/00020)

पूर्णराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई साकिन 5 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री सोहन लाल जाति बिश्नोई साकिन 5 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. हनुमान प्रसाद } पुत्रगण हरीश चन्द्र जाति सैनी साकिन टिब्बी तहसील टिब्बी
3. शिवकुमार } जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार टिब्बी।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 07.08.2009, प्र. सं. 138/2007
अनवान पूर्णराम बनाम रामस्वरूप आदि

उपस्थिति:—

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1

श्री मोहन मुंजाल अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 3

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पाडेंण्ट सं0 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 25.4.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत पेश किया। वाद पत्र में वर्णित 15 बीघा भूमि बाबत अपीलाण्ट ने अपना कब्जा होना बताते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुए प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने जवाब दावा पेश किया। परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वाद में उपस्थित आने के बाद जवाब प्रस्तुत नहीं किया व अपीलाण्ट द्वारा आदेश 8 नियम 1 सीपीसी के तहत जवाबबन्द करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया वाद रेसज्यूडिकेटा के आधार पर विधि द्वारा वर्जित होने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट कथन कियाथा कि रेसपो0 सं0 1 रामस्वरूप ने पूर्व में एक वाद रामस्वरूप बनाम पूर्णराम धारा 183 आरटीएक्ट के तहत 7 बीघा भूमि के संबंध में पेश किया था। उक्त वाद में वर्णित 7 बीघा भूमि पर पूर्णराम का कब्जा मानकर वाद खारिज किया गया। पूर्व वाद व वर्तमान वाद के पक्षकारों का अनुतोष व भूमि अलग अलग है। पूर्व वाद रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलाण्ट द्वारा पूर्व वाद में कोई वाद या काउण्टर क्लेम प्रस्तुत नही किया गया है जबकि रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त तभी लागू हो सकते हैं जब पूर्व में अपीलाण्ट द्वारा कोई वाद प्रस्तुत किया गया हो, परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत निर्णय व न्यायिक सिद्धान्तों की बिना कोई विवेचना किये निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। धारा 11 सीपीसी के आधार पर रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लागू होना तभी माना जाताहै जब विवादक निर्धारित करे अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा[illegible] सं0 1 द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा घोषणा [illegible] कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था न ही इस संबंध में कोई [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया दवा में वर्णित आराजी की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में चल रही हैजिसमें यही पक्षकारान व यही आराजी है इसलिए कानून दावा रेस्ज्यूडिकेटा होने के कारण दावा हाजा चलने योग्य नहीं था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित 7.04 बीघा मन प्रतिवादीगण की खरीदशुदा भूमि है व इस कृषि भूमि के बतौर खातेदार मन प्रतिवादीगण का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है वादी प्रश्नगत भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत भूमि को हिस्सा ठेका पर दे रखा था। वादी ने बदनियति पूर्वक प्रकरण प्रस्तुत किया है। अन्य प्रकरण लम्बित होने के कारण हस्तगत प्रकरण पोषणीय नहीं है। वादी ने प्रश्गनत भूमि पर नाजायज कब्जाकर रखा है। मन प्रतिवादीगण जरिये काउण्टर क्लेम उक्त वर्णित भूमि से वादी को बेदखल करवा कब्जा पाने व अन्तः कालीन लाभ पाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत पेश किया। वाद पत्र में वर्णित 15 बीघा भूमि बाबत अपीलाण्ट ने अपना कब्जा होना बताते हुए प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत होने पर रेसज्युडिकेटा के आधार पर वाद खारिज किया है। धारा 11 सीपीसी के आधार पर रेसज्युडिकेटा का [illegible] होना तभी माना जाता है जब विवादक निर्धारित करके अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जा चुका हो। अपीलाण्ट द्वारा वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तु किया गया है जबकि रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा पूर्व ववाद के किीस भी पक्षकारा द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं चाहा गया था न ही इस सबंध में विवादक कायम किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गये हैं। हमारा मत है कि प्रकरण में दावा एवं जवाब दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2009 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.4.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

25/4/22

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 12:09:49 IST
Reason: SelfAttested